

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 के लिए सूचीकृत छात्र/छात्रा का डमी सूचीकरण कार्ड समिति की वेबसाइट पर जारी करने एवं त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल खुले रहने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि आगामी इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 (सत्र 2021-2023) में सम्मिलित होने वाले जैसे छात्र/छात्रा, जिनका ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन दिनांक 30.01.2022 तक संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भरा गया है, उन छात्र/छात्राओं का डमी सूचीकरण कार्ड (Dummy Registration Card) समिति की वेबसाइट inter23.biharboardonline.com पर दिनांक 27.07.2022 से 04.08.2022 तक अपलोड रहेगा, जहाँ से शिक्षण संस्थान के प्रधान यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

2. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन भरे गये सूचीकरण आवेदन के आधार पर छात्र/छात्राओं के रजिस्टर्ड मोबाईल पर भी इस आशय की सूचना SMS (Message) के माध्यम से भेजी जा रही है, ताकि छात्र/छात्रा स्वयं भी समिति की उक्त वेबसाइट से अपना डमी सूचीकरण कार्ड निम्नवत् प्रक्रिया के तहत डाउनलोड कर सकते हैं -

i. वेब ब्राउजर के Address Bar में www.biharboardonline.com टाईप कर Enter करेंगे -

ii. वेब पेज पर मौजूद Click Here to Download Dummy Registration Card लिंक पर Click करेंगे।

iii. तत्पश्चात् वेबसाइट का पेज खुलेगा, जहाँ पर छात्र/छात्रा अपना +2 विद्यालय/महाविद्यालय कोड, नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि प्रविष्ट कर Submit Button पर Click करेंगे।

iv. इसके बाद छात्र/छात्रा का Dummy Registration Card दिखेगा जिसे कम्प्यूटर/मोबाईल में Download किया जा सकता है।

3. छात्र/छात्रा को निदेश दिया जाता है कि अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से अथवा स्वयं द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किये गये डमी सूचीकरण कार्ड के विवरणी को भली-भाँति मिलान/देखकर आश्वस्त हो लेंगे कि उनके डमी सूचीकरण कार्ड में अंकित किसी विवरणी में त्रुटि तो नहीं है। यदि किसी छात्र/छात्रा के डमी सूचीकरण कार्ड में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो दिनांक 04.08.2022 तक की अवधि में इस त्रुटि का ऑनलाईन सुधार अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से करा सकते हैं। किसी छात्र/छात्रा के डमी सूचीकरण कार्ड में अंकित उनके नाम, माता/पिता के नाम में मात्र लघु स्पेलिंग (i.e. A,E,K,M etc), फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि का सुधार कराया जा सकता है। छात्र/छात्रा त्रुटि सुधार कराने हेतु अपने हस्ताक्षर के साथ डमी सूचीकरण कार्ड की दो प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध करा देंगे। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगा। विदित हो कि छात्र/छात्रा के नाम, माता/पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि त्रुटि संशोधन के क्रम में किसी छात्र/छात्रा का पूर्ण पहचान बदल दिया गया है, तो उनका सूचीकरण रद्द किया जा सकता है। इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

4. वर्तमान में यह पाया जा रहा है कि कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कुछेक छात्र/छात्रा का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन तो भरा गया है, परन्तु सूचीकरण शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है। जैसे शिक्षण संस्थानों की सूची समिति की वेबसाइट पर अपलोड है, जिसे देखा जा सकता है। शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि दिनांक 04.08.2022 तक अनिवार्य रूप से बकाया सूचीकरण शुल्क जमा करना/कराना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा नहीं होने के कारण किसी छात्र/छात्रा का मूल सूचीकरण कार्ड समिति द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा, तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

<https://www.fastjobsearchers.com>

5. शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि समिति की उक्त वेबसाइट से डमी सूचीकरण कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अपने संस्थान के सभी छात्र/छात्राओं को अविलम्ब प्राप्त करा देंगे। साथ ही छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से यह निदेश देंगे कि डमी सूचीकरण कार्ड का वे भली-भाँति अवलोकन कर यह सुनिश्चित हो लें कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित हो, तो उसे सुधारने हेतु शीघ्र संस्थान में जमा किया जाय।

6. उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाईन त्रुटि सुधार के पश्चात् छात्र/छात्राओं का मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तथा उसी के आधार पर छात्र/छात्रा का ऑनलाईन परीक्षा आवेदन स्वीकार किया जाएगा एवं प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। डमी सूचीकरण कार्ड में कोई त्रुटि नहीं रह जाय, इसलिए यह अतिआवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान में छात्र/छात्रा से संबंधित संधारित संगत अभिलेखों से मिलान कर दिनांक-04.08.2022 तक अनिवार्य रूप से त्रुटि का ऑनलाईन सुधार करना सुनिश्चित करेंगे। छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित तिथि तक सुधार किये गये डमी सूचीकरण कार्ड का अवलोकन कर यह आश्वस्त हो लेंगे कि उनके डमी सूचीकरण कार्ड में त्रुटि का सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कर दिया गया है। ऑनलाईन त्रुटि सुधार करने/कराने का उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान के प्रधान के साथ-साथ छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक की भी होगी।

7. ऑनलाईन डमी सूचीकरण कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं०- 0612-2235161 अथवा Email ID : reg.bsehelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।